समरी प्रकरण कमांक–602/2022

राज्य विरूद्ध बालाजी

न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला बड़वानी (म.प्र.)

(समक्ष–अजय उइके)

Registration No.	Sum/602/2022
Filing No.	956/2022
C.N.R. No.	MP46060010402022
Filing Date	02-11-2022

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना पानसेमल,
जिला बड़वानी (म.प्र.)

– – – **अभियोजन**

विरूद्ध

बालाजी पिता छोटुलाल, उम्र–30 वर्ष,
निवासी–बोरपानी (महा.) – – – **अभियुक्त**

पुलिस थाना पानसेमल, जिला बड़वानी के इस्तगासा क. 06/2022 अपराध अंतर्गत धारा 185 अधिनियम,1988 से उद्भूत प्रकरण।

(निर्णय)

(आज दिनांक–02.11.2022 को घोषित किया गया)

01– अभियुक्त के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अंतर्गत अभियोग है कि उसने दिनांक 23.10..2022 को पानसेमल निवाली रोड मतराला में अपनी नई मोटर सायकल बिना नंबर को मादक द्रव्य का सेवन कर मदचित अवस्था में उक्त वाहन सार्वजनिक स्थल पर चलाया।

02– प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लेना निर्विवादित तथ्य है।

03– अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.10..2022 को पानसेमल निवाली रोड मतराला में अपनी नई मोटर सायकल बिना नंबर को लहराते हुए चलाकर आते दिखा जिसे हमराह फोर्स व पंचानों की मद्द से रोका आरोपी शराब पिये हुए प्रतीत होने पर आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें आरोपी का शराब के नशे में होना लेख किया। जिसके आधार पर वाहन जप्त कर संपूर्ण कार्यवाही पश्चात इस्तगासा क. 06/2022 अंतर्गत मोटरयान अधिनियम की धारा 185 न्यायालय

समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04– अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध किया जाना स्वीकर किया जो कि उसी के शब्दों में लेखबद्ध किया गया एवं साथ ही दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 294 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता भी स्वीकार की गई।

05– अभियुक्त द्वारा की गई स्वैच्छया स्वीकारोक्ति, व संलग्न दस्तावेजों को दृष्टिगत् रखते हुए अभियुक्त को उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 का अपराध प्रमाणित पाये जाने से **दोषसिद्ध** किया जाता है।

06– दोषसिद्ध को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के संबंध में विचार किया गया, अपराध की प्रकति जिसमें की सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में वाहन चलाया गया, वर्तमान परिदृश्य में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यदि ऐसे मामलें में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो समाज में नकारात्मक संदेश जायेगा, अतः सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली बढ़ोतरी व समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

07– दोषसिद्ध को मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 185 के अपराध से दंडित किया जाकर, अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है–

दोषसिद्ध	विधान एवं धारा	दण्डादेश	जुर्माने में व्यतिक्रम की अवस्था में कारावास
बालाजी	185 मोटरयान अधिनियम, 1988	10,000/–रूपये (दस हजार रूपये) जुर्माना	10 दिवस का सश्रम कारावास

08– अभियुक्त अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान एक भी दिवस अभिरक्षा में नहीं रहा है, अतः दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 428 का प्रमाण पत्र अवधि निरंक कर बनाया जावे।

09– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन नई मोटर सायकल बिना नंबर की जिसका इंजन नंबर एच.ए.11ई. डब्ल्यू.एन.6 जी.06815 एवं चेंचिस नंबर एम.बी.एल.एच.ए. डब्ल्यू.136एन.9जी.04931 को उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान की जावे।

स्थान– बड़वानी
दिनांक 02.11.2022

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित।

(अजय उइके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बड़वानी जिला बड़वानी(म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(अजय उइके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बड़वानी जिला बड़वानी(म.प्र.)

न्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
ीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य
सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
ासकीय / विधिक उपयोग हेतु अम